



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 103-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 21, 2020 (ASADHA 30, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 जुलाई, 2020

संख्या 62/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम प्रथम जुलाई, 2020 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 67क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“67क. लघु संदेश सेवा सुविधा द्वारा विवरणी या जावक प्रदायों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की रीति.— इस अध्याय में दी गई किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसके द्वारा किसी कर अवधि के लिए, **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में धारा 39 के अधीन ‘शून्य’ विवरणी भरना अपेक्षित हो या जिसका धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों का ब्यौरा शून्य हो, के लिए इलैक्ट्रॉनिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी या जावक प्रदायों के ब्यौरों को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाना भी शामिल होगा और उक्त विवरणी या जावक प्रदायों के ब्यौरों का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या आधारित ‘वन टाइम पासवर्ड’ की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

व्याख्या.— इस नियम के प्रयोजन के लिए, शून्य विवरणी या शून्य जावक प्रदायों के ब्यौरे से अभिप्राय होगा, किसी कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन कोई विवरणी या धारा 37 के अधीन किन्हीं जावक प्रदायों का ब्यौरा, जिसमें **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** या **प्ररूप जीएसटीआर-1**, जैसी भी स्थिति हो, में सभी सारणी में शून्य या कोई प्रविष्टि न हो।”।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 21st July, 2020

No. 62/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2020.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st July, 2020.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, for the rule 67A, the following rule shall be substituted, namely:—

“67A. Manner of furnishing of return or details of outward supplies by short messaging service facility.— Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in **FORM GSTR-3B** or a Nil details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return or the details of outward supplies through a short messaging service using the registered mobile number and the said return or the details of outward supplies shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation.— For the purpose of this rule, a Nil return or Nil details of outward supplies shall mean a return under section 39 or details of outward supplies under section 37, for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B** or **FORM GSTR-1**, as the case may be.”.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.